

झारखण्ड के कोल्हान पोड़ाहाट क्षेत्र में मानकी मुण्डा व्यवस्था पर आधुनिकीकरण का प्रभाव

प्राप्ति: 01.12.2023
स्वीकृत: 22.12.2023

डॉ० स्मिता किरण टोप्पो

सहायक प्राध्यापक, राजनीति विज्ञान
राम लखन सिंह यादव महाविद्यालय, राँची
ईमेल: smitatoppo93@gmail.com

84

सारांश

झारखण्ड के कोल्हान और पोड़ाहाट क्षेत्र में निवास करने वाली हो और मुण्डा जनजाति में मानकी मुण्डा शासन व्यवस्था (परम्परागत स्वशासन व्यवस्था) प्रचलित है। इस व्यवस्था पर शिक्षा, उद्योग, सामाजिक गतिशीलता और नई प्रशासनिक व्यवस्था और पंचायती राज व्यवस्था का प्रभाव पड़ा है। जहाँ शिक्षा से एक ओर जागरूकता आई वहीं प्रवास भी बढ़ा। औद्योगिकीकरण का प्रभाव इस तरह पड़ा है कि लोग मिश्रित संस्कृति में अपनी जनजातीय संस्कृति को भूलने लगे हैं। प्रशासनिक व्यवस्था में आए परिवर्तन और नई पंचायती व्यवस्था परम्परागत प्रशासन को प्रभावित कर रही है। आधुनिकता के दौर में सामान्य जनता दो व्यवस्थाओं के पाट में पिस रही है। प्रस्तुत आलेख में इन्हीं प्रभावों और उन प्रभावों से मानकी मुण्डा व्यवस्था पर आए परिवर्तनों के आकलन का प्रयास किया गया है।

मुख्य शब्द

कोल्हान पोड़ाहाट, मानकी मुण्डा व्यवस्था, विल्किन्सन्स रूल्स, आधुनिकीकरण, आधुनिकता, पंचायती राज व्यवस्था।

आधुनिकता का अर्थ है किसी समाज का परम्परागत, ग्रामीण और कृषि समाज से शहरी और औद्योगिक समाज में परिवर्तित होना। इसके कई आधार माने जा सकते हैं। परम्परागत व्यवस्था से अलग नई व्यवस्था में चलना, साक्षरता दर में वृद्धि होना, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होना, सुविधा और सुधार के लिए प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग, संचार साधनों के प्रयोग में वृद्धि, सामाजिक गतिशीलता या जीवन शैली में परिवर्तन का अनुभव करना और आय के प्राचीन तरीकों को छोड़कर बेहतर तकनीकों को लागू करना। आधुनिकीकरण से तात्पर्य सामाजिक परिवर्तन की उस प्रक्रिया से है जिससे कम विकसित समाज विकसित समाज की सामान्य विशेषताओं को प्राप्त करते हैं। इनके अतिरिक्त एक आधुनिक समाज में लोगों की राजनीतिक भागीदारी भी बढ़ जाती है। शहरीकरण को औद्योगिकीकरण का पूरक कहा जाता है। नए औद्योगिक केन्द्रों की स्थापना होने से लोगों का विस्थापन भी होता है और उद्योगों वाले स्थान में बाहर से अन्य लोगों का आना भी होता है। स्थानान्तरण से संस्कृतियों का मिश्रण हो जाता है।¹

जब हम आधुनिकीकरण और परम्पराओं को जोड़कर देखते हैं तो यह पाते हैं कि आधुनिकता से परम्पराएं नष्ट हो रही हैं। किन्तु आधुनिकीकरण का अर्थ यह नहीं है कि पारम्परिक मूल्यों या सांस्कृतिक विरासत को त्याग कर विकास की ओर आगे बढ़ा जाए। वास्तव में

आधुनिकीकरण वह प्रक्रिया है जो कि परम्परागत मूल्यों की अवहेलना नहीं करता और अच्छे परिवर्तन के लिए काम करता है। सामान्य तौर पर आधुनिकता के कारण जनजातीय समाज और उसकी संस्कृति की पहचान पर संकट आ गया है।² आधुनिकीकरण और विकास की प्रक्रिया के कुछ प्रमुख पक्ष इस प्रकार हैं –

1. ज्ञान के स्तर में वृद्धि
2. सामाजिक परिवर्तनों की श्रृंखला का प्रारम्भ
3. सामाजिक गतिशीलता और अन्य संरचनाओं का प्रभाव
4. ऐतिहासिक संस्थाओं में परिवर्तन
5. तकनीकी और सांस्कृतिक दशाओं में बदलाव
6. ग्रामीण कृषि संस्कृति का रूपान्तरण शहरी औद्योगिक संस्कृति में।

ये कुछ पक्ष हैं और इनमें आपस में संबद्धता होती है। एक आयाम में होने वाले परिवर्तन अन्य आयामों के परिवर्तनों को भी प्रभावित करते हैं। समय एक महत्वपूर्ण घटक होता है।

झारखण्ड का कोल्हान प्रमंडल (वर्तमान समय के पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सराईकेला खरसावा जिले) हो और मुण्डा जनजाति बहुल क्षेत्र हैं जहाँ उनकी परम्परागत स्वशासन व्यवस्था, मानकी मुण्डा व्यवस्था का प्रचलन है। सदियों से चली आ रही इस व्यवस्था में आधुनिकीकरण के विभिन्न तत्वों का प्रभाव पड़ा है। यह प्रभाव सकारात्मक भी है और नकारात्मक भी। वर्तमान में आधुनिकता के परिप्रेक्ष्य में ऐसे प्रभाव सकारात्मक प्रतीत होते हैं किन्तु जनजातीय परिप्रेक्ष्य में हम नकारात्मक प्रभावों को अधिक देखते हैं।

शिक्षा का प्रभाव

कोल्हान पोड़ाहाट में प्रचलित मानकी मुण्डा व्यवस्था भी आधुनिकीकरण से अछूती नहीं रही है और उस पर आधुनिकीकरण के प्रभाव को देखा जा सकता है। शिक्षा ऐसा तत्व है जिसने अपने प्रभाव से क्रांति लाई है। हो जनजाति की भाषा और लिपि अत्यन्त समृद्ध थी लेकिन आधुनिक शिक्षा से ये लम्बे समय तक दूर रहे। दूसरे क्षेत्रों से भौगोलिक अलगाव और सांस्कृतिक अन्तर दोनों के कारण हो जनजाति मुख्यधारा से अलग रही।³ ब्रिटिशों के इस क्षेत्र में आने के नकारात्मक और सकारात्मक दोनों तरह के प्रभाव दृष्टिगोचर होते हैं। इनके आने से अलगाव का जीवन जीती हो जनजाति मुख्य धारा के संपर्क में आई। जमींदारों और राजाओं के साथ अंग्रेजों के शोषण का शिकार हुई यह जनजाति किन्तु कुछ ब्रिटिश पादरी और शिक्षाविद ऐसे भी थे जिन्होंने शिक्षा के प्रचार प्रसार की शुरुआत की। स्कूल खोले और हो जनजाति के लोगों को शिक्षित करने की शुरुआत की। कोल्हान पोड़ाहाट में स्वतंत्रता पूर्व शिक्षा ब्रिटिशों की ही देन है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कई सरकारी विद्यालय खोले गए जो भेदभाव की नीति से मुक्त थे। सकारात्मक भेदभाव की नीतियों वाले संस्थानों का प्रजातंत्रीकरण हुआ और सुलभ शिक्षा प्राप्त करने के लिए हो जनजाति के बच्चों ने औपचारिक शिक्षा की कठिन लड़ाई की शुरुआत की।⁴ शिक्षा का सकारात्मक राजनीतिक सामाजिक प्रभाव यह पड़ा कि यह यहाँ के लोग अपने अधिकारों को जान पाए। लेकिन यह शिक्षा भी कुछ ही प्रतिशत लोगों तक पहुँच पाई।

ग्रामीण क्षेत्रों की साक्षरता दर ही स्पष्ट करती है कि शिक्षा अभी तक उन क्षेत्रों तक उचित तरीके से पहुँच ही नहीं पाई है। जंगल के अन्दर के गाँवों में जहाँ अभी भी शिक्षा और शिक्षण संस्थाओं की पहुँच नहीं हो पाई है वहाँ अभी भी मानकी मुण्डा व्यवस्था अपने पुराने स्वरूप में ही है। हर छोटे –मोटे

मामले उन्हीं के द्वारा सुलझाए जाते हैं। लोगों के लिए उनके मुण्डा ही सबसे विश्वसनीय हैं क्योंकि मुण्डा उनको जानता है और वे मुण्डा को जानते हैं। अन्दरूनी गाँवों में जीविकोपार्जन के परम्परागत साधनों का ही प्रयोग हो रहा है। परम्परागत कृषि जिसमें किसी भी प्रकार की नई तकनीक का प्रयोग शामिल नहीं है, वन उत्पादों पर निर्भर और शहरीकरण और आधुनिकता से बहुत दूर ऐसे गाँवों में अभी भी मुण्डा और मानकी ही सर्वोच्च हैं। उनकी सभी सामाजिक समस्याओं का हल उन्हीं के जरिए वे प्राप्त करते हैं। ऐसे गाँवों में मुण्डा और मानकी के अतिरिक्त लोग अन्य अधिकारियों के बारे में जानते भी नहीं हैं।⁵ अपने अधिकारों से भी वे भली-भांति परिचित नहीं हैं। गाँवों में शिक्षा के उचित साधन नहीं हैं। विद्यालय तो है पर शिक्षक नहीं हैं। इसलिए शिक्षा प्राप्ति के लिए शहरों की तरफ जाना पड़ता है। एक पीढ़ी जो शिक्षित हो गई है वे शहरों में ही बस गए हैं और जो गाँवों में रह गए हैं उनमें से कईयों की प्राथमिक शिक्षा ही पूरी हो पाई है और कुछ की पढ़ाई अधूरी रह गई क्योंकि जीविकोपार्जन के लिए खेती के अलावा कोई और साधन नहीं है। ग्रामीण महिलाओं में शिक्षा का स्तर अभी भी कम है।⁶ इसके विपरीत जहाँ शहरीकरण हुआ है या उसके प्रभाव से लोग प्रभावित हुए हैं वहाँ लोग अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हुए हैं। शिक्षा से मानकियों, मुण्डाओं और रैयतों के बौद्धिक स्तर में वृद्धि हुई है और निम्नलिखित प्रभाव देखे जा सकते हैं –

शिक्षा का राजनीतिक प्रभाव

1. **संगठनों का निर्माण और स्वतंत्र कोल्हान आन्दोलन** – शिक्षित मानकी मुण्डा अपने अधिकारों के लिए जागरूक हैं। उन्हें इस बात का ज्ञान है कि उनके लिए क्या नियम बनाए गए हैं। किस नियम में क्या बात कही गई है और कहाँ सरकार उन नियमों का उल्लंघन कर रही है। वे अपने अधिकारों के लिए संगठनों के माध्यम से लोगों के बीच भी उन नियमों की जानकारी देते हैं। स्वतंत्रता के बाद 1977 में हो आदिवासियों ने अपने परम्परागत जीवन व न्याय प्रणाली में हस्तक्षेप, दिक्कों द्वारा जमानों पर कब्जा और वनों की गैर कानूनी कटाई के विरुद्ध अपने विक्षोभ को संगठित रूप देने के उद्देश्य से 'कोल्हान रक्षा संघ' का गठन किया।⁷ इसके प्रमुख नेताओं में नारायण जोको, सी. ए. टोपनो, अश्विनी कुमार सावैया, और के.सी. हेम्बरोम, लाल बोदरा आदि थे। इसे सफल बनाने में कोल्हान-पोड़ाहाट मुण्डा मानकी संघ (1960 में गठित मानकी मुण्डाओं का पहला संगठन)⁸ ने भी इनका समर्थन किया। 1977 में 'कोल्हान रक्षा संघ' और कोल्हान-पोड़ाहाट मुण्डा मानकी संघ की संयुक्त बैठक चाईबासा में हुई। 1981, 30 मार्च को चाईबासा के मंगलाहाट में संघ ने बड़ी सभा की और नारायण जोको ने घोषणा की कि कोल्हान गवर्नमेन्ट एस्टेट स्वतंत्र है और कोल्हान रक्षा संघ ही कोल्हान गवर्नमेन्ट है। इस सभा के पहले गाँवों में परचे बांटे गए थे जिसमें लिखा था कि कोल्हान गवर्नमेंट एस्टेट की ओर से प्रतिनिधि 'कॉमनवेल्थ ऑफ नेशनस' के सेक्रेटरी से मिलेंगे और कोल्हान के स्वतंत्र होने के दावे को पेश करेंगे। उसमें यह भी लिखा था कि कोल्हान की भूमि, खनिज और वन संपदा कोल्हानवासियों की सामाजिक सम्पत्ति है जिस पर हक एवं अधिकार केवल कोल्हान गवर्नमेंट का है और अन्य सरकार को कोई कानूनी अधिकार नहीं है। इस आन्दोलन को मानकी मुण्डाओं का समर्थन हमेशा मिला क्योंकि कोल्हान रक्षा संघ के माध्यम से ही उन्हें विलिकन्सन्स नियमों के बारे

में जानकारी मिली।⁹ और जो लोग मानकी मुण्डा व्यवस्था और विल्किन्सन्स नियमों के बीच के संबंध को नहीं जानते थे वे इसे जान पाए।

शिक्षा के ही प्रभाव से मानकी मुण्डा या रैयत अपनी बातों को उच्च अधिकारियों तथा सरकार तक पहुँचा सकते हैं। 1980 के दशक में 'मानकी मुण्डा संघ' का गठन किया गया। तत्कालीन सत्तारूढ़ राजनीतिक दल के सहयोग से वे अपनी बात देश के प्रधानमंत्री तक पहुँचा पाए। 1986 में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री राजीव गाँधी को पत्राचार द्वारा ज्ञापन देकर यह मांग की गई कि कोल्हान क्षेत्र को केन्द्र के प्रत्यक्ष नियंत्रण में रखा जाए और विल्किन्सन्स रूल्स को बरकरार रखा जाए। उन्होंने अपने ज्ञापन में जो सर्वप्रमुख माँग रखी थी वह थी मानकी मुण्डा व्यवस्था को चालू रखने और विल्किन्सन्स नियमों को लागू करना। झारखण्ड निर्माण के बाद भी मानकियों और मुण्डाओं के प्रयास जारी रहे कि वे मानकी मुण्डा व्यवस्था को संरक्षित कर सकें।

2017, जून में कोल्हान पोड़ाहाट मानकी मुण्डा संघ राष्ट्रपति से मिला और विल्किन्सन्स रूल्स और मानकी मुण्डा व्यवस्था को बनाए रखने के लिए उचित कदम उठाने की मांग की।¹⁰

2. **शिक्षा का आर्थिक प्रभाव** – कोल्हान पोड़ाहाट के जिन क्षेत्रों में उच्च शिक्षा की सुविधा है, वहाँ शिक्षित लोगों की आर्थिक स्थिति में भी प्रभाव पड़ा है। जो राँची या जमशेदपुर जाकर शिक्षा ग्रहण कर रहे थे, वे वहीं बस गए। कुछ नौकरियों की तलाश में भी बाहर प्रवास में रह रहे हैं। मानकी और मुण्डाओं में से भी बहुतों ने उच्च शिक्षा को अपनाया और अलग-अलग क्षेत्रों में नौकरियों को प्राप्त किया। कुछ शिक्षक बन गए, कुछ बैंक की नौकरियों में हैं, और कुछ जो अन्य प्रकार की नौकरियों में गए उन्होंने अपने भाईयों को मुण्डा या मानकी बनाया और स्वयं नौकरी करते रहे। नौकरियों में आने के कारण उनका दायित्व बढ़ गया और कई बार सक्षमतापूर्वक दोनों कार्यों को कर पाना मानकी मुण्डाओं के लिए संभव नहीं होता है।
3. **शिक्षा का सामाजिक प्रभाव** – शिक्षा का सामाजिक प्रभाव मानकी मुण्डा व्यवस्था पर शहरीकरण से जुड़ा हुआ है। जहाँ सिविल प्रोसेड्योर कोड लागू है।¹¹ उन्हें नगरपालिका के नियमानुसार चलना होता है अतः उनका संपर्क मानकी मुण्डा से नहीं रह जाता। जिनकी रैयती जमीनें गाँवों में रह गई हैं उनका संपर्क मानकी मुण्डा से प्रमाणपत्रों को बनवाने तक सामित रह गया है। अर्थात् शहरीकरण और दूसरी व्यवस्थाओं के आने के कारण मानकी मुण्डा प्रणाली की शक्तियों में कमी आई है तथा उनकी काम केवल प्रमाण पत्रों में अनुशंसा करने तक सीमित रह गया है। कोल्हान पोड़ाहाट के ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा व्यवस्था की कमियों से मानकी मुण्डा व्यवस्था पर दुष्प्रभाव पड़ा है। गाँवों के स्तर पर अच्छे विद्यालयों की कमी है। जिससे लोगों को पलायन करने की आवश्यकता पड़ रही है। सरकार अगर कोल्हान फंड से ही विकास के कार्य करती और कोल्हान क्षेत्र में सुविधाओं और अवसरों का सृजन करती तो लोगों को अपने ही स्थान पर काम मिल पाता और पलायन और प्रवास के लिए लोग मजबूर नहीं होते। लोग अपने स्थान और अपनी संस्कृति से जुड़े रहते और मानकी मुण्डा व्यवस्था और मानकियों और मुण्डाओं की गरिमा भी बनी रहती।¹² शिक्षा की कमी के कारण मानकी मुण्डाओं के अधिकार पंचायतों के पास चले जा रहे हैं।

मानकी मुण्डा व्यवस्था पर औद्योगीकरण का प्रभाव

कोल्हान क्षेत्र में खनिज पदार्थों की प्रचुरता है। कच्चे लोहे के विशाल भंडार के अतिरिक्त यहाँ लाइमस्टोन, मैगनीज, क्रोमाइट, सिलिका और क्वार्टजाइट की खानें हैं। और मूल्यवान खनिज पदार्थों के कारण यहाँ खनन कार्य और खनिजों से संबंधित उद्योगों की भी प्रचुरता है। इन उद्योगों को स्थापित करने वाले भी पूँजीपति और खनन कार्य कराने वाले भी पूँजीपति हैं। मशीनों पर तकनीकी काम करने वाले भी बाहर से हैं और उत्पादों का उपयोग और उपभोग भी बाहर के लोग ही करेंगे। यहाँ के लोगों की सहभागिता इतनी है कि जमीन इनकी है और अपनी ही भूमि पर स्थापित उद्योगों में ये मजदूरी करते हैं। धेबर कमीशन की रिपोर्ट के अनुसार जनजातियों के जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य होता है जमीन को साफ कर, खेती लायक बना कर उसपर दखल करना क्योंकि जमीन में जीवन देने की शक्ति है। जनजातियों को जमीन न केवल आर्थिक सुरक्षा प्रदान करती है बल्कि उसके माध्यम से वे अपने पूर्वजों से जुड़े होते हैं।¹³ जब तक यह क्षेत्र औद्योगीकरण की लहर से बचा हुआ था तब तक यहाँ की परम्परा पर बाहरी प्रभाव नहीं पड़ा था और न ही इनका शोषण हुआ था। औद्योगीकरण से भी सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकार के प्रभाव दिखते हैं किन्तु नकारात्मक प्रभावों की संख्या अधिक है।

1. **जमीनों का अवैध रूप से छिन जाना** – मानकी मुण्डा व्यवस्था इससे संबंधित और प्रभावित दोनों है। यह संबंधित इस प्रकार से है कि उद्योगों की स्थापना के लिए जमीनों के पट्टे देने के लिए अनुशंसा का काम मुण्डा या मानकी का होता है। विशेष रूप से मुण्डा की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। सर्वप्रथम तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 (5) के अनुसार राज्य सरकार का यह अधिकार है कि जनजातियों के हितों की रक्षा के लिए अन्य स्थानों से आए गैर जनजातियों के साथ जमीन की बंदोबस्ती करने और जनजातियों की जमीन बिक्री करने आदि पर प्रतिबंध लगाने के लिए उचित कानून बना सकती है।¹⁴ विलिकन्सन्स रूल्स के रूल 27 के अनुसार जमीन बिक्री और बन्धक या पट्टे आदि देने के लिए उपायुक्त के माध्यम से आयुक्त की स्वीकृति आवश्यक है। किन्तु विलिकन्सन्स रूल्स के साथ सी.एन.टी. एक्ट भी लागू कर देने से जमीन संबंधी मामलों में मुण्डाओं की शक्तियाँ कम होने लगी हैं क्योंकि उपायुक्त को ही जमीन बिक्री की अनुमति देने का अधिकार दे दिया गया है।
2. **विस्थापित लोगों के पुनर्वास की समस्या** – झींकपानी, नोवामुंडी में जहाँ सीमेंट फैक्ट्री और टिस्को का कारखाना और कच्चे लोहे की खानें हैं, वहाँ के आदिवासियों की जमीनों पर ये कारखाने बने और सरकार की ओर से उन्हें जमीन का मुआवजा दिया गया। किन्तु मुआवजा कितना होना चाहिए था यह रैयत से नहीं पूछा गया। आदिवासियों को उनके परम्परागत जीविकोपार्जन के साधन, उनकी जमीनों से अलग कर दिया गया। उन्हें जो भी मुआवजा दिया गया, रैयतों ने चुपचाप ले लिया। मुआवजे के पैसे खत्म हो जाने पर वे अपने ही स्थान पर भूमिविहीन हो गए और उन्हीं कारखानों में काम करने को बाध्य हो गए।¹⁵
3. पेसा कानून के तहत गैर कानूनी ढंग से खोयी जमीन की वापसी का अधिकार ग्राम सभा को दिया गया है अर्थात् मुण्डा को यह अधिकार मिलना चाहिए किन्तु पेसा कानून को ढंग से लागू ही नहीं किया गया। अपने स्थानों से विस्थापित हो जाने के बाद लोगों की सामाजिक व्यवस्था में भी परिवर्तन आ गया। दूसरी संस्कृतियों का प्रभाव इन पर पड़ा और ये अपनी जमीन, जंगल और परम्पराओं से भी दूर होते चले गए।

- मानकी मुण्डाओं को धोखा देकर, उनके अधिकारों का हनन करके खनन पट्टा प्राप्त कर लिया जा रहा है। कई मुण्डा ऐसे भी हैं जिनकी जमीनों पर खनन कार्य हो रहा है। वर्तमान में भू-अर्जन पदाधिकारी के माध्यम से सार्वजनिक कार्यों जैसे सड़क, पुल आदि के साथ साथ अन्य कारखानों, छोटे मेटल प्लांट्स आदि के लिए भूमि ले ली जा रही है। सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन करा कर ये दिखाया जाता है कि लगाए जाने वाले कारखाने या उद्योग सार्वजनिक महत्व के हैं। सी.एन. टी. एक्ट और विल्किन्सन्स रूल्स की अवहेलना करके सरकारी जमीन को खनन के लिये लिया जा रहा है। नोवामुंडी में तोड़तोपा और डी.वी.सी. समेत विभिन्न स्थानों पर व्यापक तौर पर कथित सरकारी जमीन पर कब्जा किया जा रहा है जबकि उन स्थानों में सरकारी भूमि है ही नहीं।¹⁶

औद्योगीकरण के कारण जो बाहरी लोग, पूंजीपति और साम्राज्यवादी विचार रखने वाले लोग यहाँ आए, उन्होंने यहाँ के भोले भाले आदिवासियों को हर प्रकार से दिग्भ्रमित करने का प्रयास किया। कोल्हानिस्तान के लिए कोल्हान रक्षा संघ को आर्थिक मदद देकर पृथक्तावादी मानसिकता को उदित करने में भी इन पूंजापतियों का हाथ था। इस प्रकार औद्योगीकरण से नकारात्मक प्रभाव ही अधिक दिखाई देते हैं।

वन संबंधी नीतियों का प्रभाव

वन नीति का भी प्रभाव मानकी मुण्डा व्यवस्था पर पड़ा है। झारखण्ड आंदोलन के समय ही 1978 ई. में सिंहभूम में एक और नया आंदोलन प्रारंभ हुआ। यह आंदोलन 'जंगल कटाई आंदोलन' कहलाया। इस आंदोलन का मुख्य कारण यहां के आदिवासियों के वन अधिकारों पर रोक तथा बिहार सरकार की गलत वन नीतियाँ थीं। आदिवासियों का सदियों से जंगलों से आर्थिक, धार्मिक और सांस्कृतिक संबंध था। वे जंगल पर विभिन्न तरह से आश्रित थे। वस्तुतः ब्रिटिश काल से ही यहां के मानकी-मुण्डा और हो लोगों के प्रथागत वन अधिकारों पर सरकार की ओर से अतिक्रमण प्रारंभ हो गया था। अंग्रेज वनों को राजस्व प्राप्त करने का एक अच्छा जरिया मानते थे फलतः उन्होंने इन जंगलों पर नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास किया जो पूर्व में मानकी-मुण्डाओं के नियंत्रण में थे। देश की आजादी के पश्चात् भी यहां के लोगों के साथ भेदभाव एवं शोषण जारी रहा। बिहार प्राईवेट फारेस्ट एक्ट, 1947 तत्पश्चात् नेशनल फारेस्ट पालिसी 1952 के द्वारा यहां के आदिवासियों को दैनिक कार्यों तथा कृषि के औजार बनाने के लिए लकड़ी काटने से मना कर दिया गया साथ ही खेती के लिए जंगलों को काट कर नये खेत बनाने से भी रोका गया।¹⁷

1973 ई. में बिहार केन्दु लीव्स (कंट्रोल ऑफ ट्रेड) एक्ट 1973 पारित किया गया जिससे केन्दु पत्ता के व्यवसाय पर सरकार ने नियंत्रण स्थापित कर लिया था। उसी तरह 1975 ई. में बिहार स्टेट फॉरेस्ट डेवलपमेंट कोरपोरेशन लि. (एफ.डी.सी.) का निर्माण किया गया ताकि वनों का व्यवसायिक उपयोग किया जाए।¹⁸ एफ.डी.सी. पारंपरिक मिश्रित वनों जिसमें आदिवासियों के खूंटकट्टी जंगल भी शामिल थे, में स्थित साल, महुआ, कुसुम तथा अन्य लाभदायक तथा फलदार पेड़ों को काटकर सागवान लगाने लगा। आदिवासियों का शोषण यहीं बंद नहीं हुआ। वन विभाग ने हो लोगों की खेती लायक जमीन को अवैध तरीके से अधिग्रहण करना प्रारम्भ कर दिया था जिसके परिणाम स्वरूप अनेक आदिवासी अपने जमीन से हाथ धो बैठे। बिहार सरकार ने पुनः 1976 ई. में साल बीज व्यापार तथा 1978 ई. में सभी लघु उत्पादों के व्यापार को अपने नियंत्रण में ले लिया था।

ये सभी नियम आदिवासियों के हितों के विरुद्ध थे। कभी-कभी सरकारी अधिकारीगण आदिवासी महिलाओं का शारीरिक शोषण भी करते थे।¹⁹ इन सब कारणों से अगस्त 1978 ई0 में सिंहभूम में एक सुसंगठित और शक्तिशाली आंदोलन भड़क उठा। यह आंदोलन जंगल कटाई आंदोलन के नाम से प्रसिद्ध हुआ।

सारंडा में इस जंगल कटाई आन्दोलन को दबाने के लिए तत्कालीन सरकार ने सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत सी.आर.पी.एफ.के जवानों को जंगल में ही तैनात किया गया और सैकड़ों आदिवासी गिरफ्तार किए गए। जंगलों में इस प्रकार की घटनाओं से लोगों में दहशत और आक्रोश दोनों था। मानकी-मुण्डा का प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष सहयोग इस आंदोलन को प्राप्त था।

प्रशासनिक प्रभाव

स्वतंत्रता के बाद प्रशासनिक क्षेत्र में भी इस मानकी मुण्डा व्यवस्था में कई परिवर्तन दृष्टिगोचर होते हैं। इन परिवर्तनों के पीछे सबसे महत्वपूर्ण था प्रशासन की व्यवस्था में परिवर्तन। बहुत से पदों का सृजन किया गया। क्षेत्रों का पुनः सीमांकन हुआ और क्षेत्रों को अलग-अलग प्रशासनिक क्षेत्रों में बाँटा गया। इन प्रशासनिक परिवर्तनों से ही मानकी मुण्डा व्यवस्था प्रभावित हुई।

हम पाते हैं कि कोल्हान में पहले की जो प्रशासन व्यवस्था थी वह निम्न से उच्च पद तक इस प्रकार थी –

ब्रिटिश काल	स्वातंत्रोत्तर काल
मुण्डा	मुण्डा
मानकी	मानकी
कोल्हान अधीक्षक	हल्का कर्मचारी
उपायुक्त	अंचलाधिकारी एवं प्रखंड विकास पदाधिकारी
आयुक्त	कोल्हान अधीक्षक एवं अपर उपायुक्त
ब्रिटिश सरकार	उपायुक्त
	आयुक्त
	राज्यपाल
	राष्ट्रपति

इस व्यवस्था में मानकी और मुण्डा जो पहले सीधे उपायुक्त के संपर्क में रहते थे और उपायुक्त भी सीधे मानकियों और मुण्डाओं से संपर्क कर सकते थे, उनके बीच अब पदाधिकारियों के दो तीन स्तर आ गए और मानकी मुण्डा के प्रभाव और शक्तियों में स्वतः ही कमी आ गई।²⁰

भूमि बंदोबस्ती के प्रभाव

स्वतंत्रता के बाद छोटा नागपुर क्षेत्र की बंदोबस्ती की भी आवश्यकता महसूस करते हुए प्रशासन ने काम करना शुरू किया। इसके पहले सिंहभूम की बंदोबस्ती 1913-18 में और पोड़हाट की 1928-32 ई. में की गई थी। सराइकेला खरसांवा देशी राज्यों का विलय सिंहभूम में किया गया। और छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 का इन क्षेत्रों में भी विस्तार किया गया। सी.एन.टी. एक्ट लागू होने के बाद यह निर्णय लिया गया कि अधिनियम के तहत नया रिकार्ड ऑफ राइट्स बनाया जाए जिससे पूरे जिले के प्रशासन में एकरूपता रहे। इस बंदोबस्ती का एक प्रमुख कारण

कोल्हान गवर्नमेंट एस्टेट में 1913 की बंदोबस्ती के बाद से काफी बड़ी संख्या में यहाँ के लोगों द्वारा खेती के लिए बनाई गई नई जमीनों पर दावा है। यहाँ की परम्परा के अनुसार नई दावे वाली कृषि जमीन पर अगले बंदोबस्ती तक कर निर्धारण नहीं हो सकता था और बड़ी मात्रा में लोगों ने इस तरह की जमीनों को खेती लायक बना कर अपने कब्जे में कर लिया था और उन जमीनों से सरकार को कोई लगान नहीं मिल रहा था। अतः 1950 से ही एक नई बंदोबस्ती की आवश्यकता महसूस की जाने लगी।²¹

सिंहभूम में सी.बी. प्रसाद के नेतृत्व में भूमि बंदोबस्ती कार्य प्रारम्भ किया गया जो 1958 से 1965 तक चला। इसमें सिंहभूम जिले का एक साथ भू मापन कराया गया। कोल्हान के संदर्भ में 1913-18 के ए.डी.टकी के बंदोबस्ती के 64 साल बाद यह भूमि बंदोबस्ती की गई। इस बंदोबस्ती के दौरान कोल्हान के मानकी मुण्डाओं के लिए खेवट लिखते समय भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो गई और काफी विचार विमर्श के बाद यह निर्णय लिया गया कि मानकी मुण्डा टेन्पोर होल्डर नहीं हैं अतः उनके लिए खेवट बनाने का विचार त्याग दिया गया। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम के अनुच्छेद 132 के तहत मानकी मुण्डाओं के लिए हकूकनामा बनवाया गया और उसे रिकार्ड ऑफ राइट्स कहा गया।²²

इसी समय एक और मुद्दा महत्वपूर्ण बनकर उभरा जो था, मानकी मुण्डाओं की पुलिस शक्तियों के बारे में। कोल्हान इन्क्वायरी कमिटी की जाँच के बाद विभिन्न पुलिस थानों के खुल जाने से मानकी मुण्डाओं के पुलिस अधिकारों को बरकरार रखने की आवश्यकता नहीं समझी गई। इसका एक और भी कारण था कि मानकी मुण्डा कभी कभी अपनी व्यक्तिगत दुश्मनी के कारण इस शक्ति का दुरुपयोग करते थे। जब मानकी मुण्डाओं की पुलिस शक्ति को समाप्त करने की बात आई तब कोल्हान के मानकी मुण्डाओं ने इसका घोर विरोध किया और विरोध के परिणामस्वरूप वैधानिक पहलुओं को ध्यान में रखकर मानकी मुण्डाओं की पुलिस शक्तियों को यथावत् रहने दिया गया और हकूकनामे में इसका उल्लेख भी किया गया। 1964 के इस बंदोबस्ती के पहले 1913-18 के टकी के भूमि बंदोबस्ती के समय का ही हकूकनामा मान्य था।

पंचायत व्यवस्था का प्रभाव

देश की आजादी के बाद गाँवों के विकास तथा उनको देश की मुख्यधारा में जोड़ने के लिए पंचायती राज व्यवस्था लागू करनी थी। बिहार राज्य में बिहार पंचायत राज अधिनियम 1947 के तहत ग्राम पंचायतों की स्थापना की गई थी। इस अधिनियम के तहत बिहार में पहला ग्राम पंचायत चुनाव 1950 में कराया गया और पुनः पंचायत चुनाव 1978 में हुआ। सिंहभूम में भी यह चुनाव 1978 में करवाया गया। उस समय सिंहभूम जिले में 32 प्रखंड थे जिन्हें 472 पंचायतों में बाँटा गया था। तब भी मुखिया और सरपंच पद के लिए चुनाव हुए थे किन्तु इस समय मानकियों और मुण्डाओं ने पंचायत चुनाव का विरोध करना प्रारम्भ कर दिया था पर वे चुनाव रोक नहीं पाए। चुनाव के उपरान्त कोल्हान पोड़ाहाट में मानकी मुण्डा प्रशासन एवं ग्राम पंचायत प्रशासन समानान्तर रूप से चलने लगी। इसका दुष्परिणाम जनता को भुगतना पड़ा। यहाँ की जनता दो ग्रामीण प्रशासनों के बीच पिसती जा रही थी। लोगों को दोनों अधिकारियों को खुश रखना पड़ता था। इस व्यवस्था में मानकी मुण्डा को राजस्व का अधिकार प्राप्त था और मुखिया के पास विकास संबंधी कार्य थे। कार्य का यह बंटवारा बहुत स्पष्ट नहीं था। परिणामस्वरूप मानकी मुण्डाओं और मुखियाओं के बीच खींचातनी होने लगी और पश्चिमी सिंहभूम में विकास अवरूद्ध हो गया। सरकार सिर्फ ग्राम पंचायत की ओर विशेष ध्यान देने लगी और

मानकी मुण्डाओं की अवहेलना होने लगी। बिहार सरकार ने न तो परम्परागत व्यवस्था को बचाने की कोशिश की और न ही पंचायत चुनाव को होने से रोका।

सितम्बर 1984, मानकी मुण्डाओं की एक विशेष बैठक मुण्डा दीनबन्धु बोयपाई के नेतृत्व में हुई। इस बैठक में शामिल 27 मुण्डा और मानकियों ने अपने पद से त्यागपत्र देने का निर्णय किया और आदिवासी रैयतों की गवाही पर अपने त्यागपत्र सभापति को सौंप दिये। उनको देखकर बाद में अन्य 13 मुण्डाओं ने भी त्यागपत्र दे दिया। प्रशासनिक गड़बड़ी एवं व्यवस्था में अनिश्चितता से केवल मानकी मुण्डा ही परेशान नहीं थे बल्कि पंचायत चुनाव में चुने गए पदाधिकारी भी असंतुष्ट थे। तीन पंचायतों के मुखिया एवं सरपंचों ने भी सामूहिक रूप से अक्टूबर 1984 को अपना त्यागपत्र सौंप दिया। ये थे – टोन्टो पंचायत के मुखिया के.सी. हेम्ब्रम और सरपंच भुईया लागुरी, बुन्दु पंचायत के मुखिया दुबराज अंगारिया और सरपंच गोपीनाथ गुण्डुवा और बांके पंचायत के भेजना केराई और बुधराम केराई। पश्चिमी सिंहभूम के पंचायत के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ कि सामाजिक और प्रशासनिक समस्याओं के कारण सामूहिक रूप से त्यागपत्र दिए गए। इससे प्रशासन में हड़कंप मच गया। प्रशासनिक दबाव में कुछ मुण्डाओं ने अपने त्यागपत्र वापस ले लिए। इस प्रकार के विरोध सभी स्थानों में हो रहे थे। विरोध को देखते हुए बिहार में फिर पंचायत चुनाव नहीं हुए।²³

पेसा कानून और मानकी मुण्डा व्यवस्था

झारखण्ड के गठन के बाद राज्य में पंचायती राज व्यवस्था प्रारम्भ करने के उद्देश्य से संविधान के भाग 9 एवं पेसा कानून के अनुरूप झारखण्ड पंचायत राज अधिनियम 2001 लागू किया गया। लेकिन इस अधिनियम में पेसा के अनेक नियमों को शामिल नहीं किया गया और न ही यह सी. एन. टी. एक्ट या एस.पी.टी. एक्ट में वर्णित देशज न्यायिक परम्परा पर आधारित था। फलतः झारखण्ड पंचायत राज अधिनियम 2001 का विरोध प्रारम्भ हो गया।

सभी विरोधों के बावजूद 2010 में कोल्हान पोड़ाहाट में भी पंचायत चुनाव की कवायद शुरू हो गयी। कोल्हान पोड़ाहाट की 216 पंचायतों में विलिकन्सन्स रूल्स लागू थे। वहाँ के मानकी मुण्डा गाँवों में बैठक करके पंचायत चुनाव के विरोध में जनसहमति इकट्ठा करने लगे। सामाजिक न्याय की जो सबसे आसान पद्धति यहाँ चल रही है वह हमारे पूर्वजों की कुर्बानी का प्रतिफल है। जबरन इस व्यवस्था पर पंचायत चुनाव थोपना अनुचित था। मानकी मुण्डा संघ ने ग्राम मुण्डाओं और इलाका मानकियों से कोल विद्रोह की तर्ज पर लड़ाई लड़ने की अपील की। *पंचायत व्यवस्था काबुआ:* (पंचायत व्यवस्था नहीं चाहिए), *मानकी मुण्डा व्यवस्था आबुआ:* (मानकी मुण्डा व्यवस्था हमारी है) के नारे के साथ कोल्हान के चार आदिवासी संगठन आदिवासी हो समाज महासभा, कोल्हान रक्षा संघ, मानकी मुण्डा संघ और कोल्हान पोड़ाहाट मानकी मुण्डा परिशद् ने पूरे पश्चिमी सिंहभूम में बैठकें करना प्रारम्भ कर दिया। इन चारों संगठनों ने मिलकर कोल्हान पोड़ाहाट पंचायत विरोधी संयुक्त संघर्ष समिति नामक संगठन का निर्माण किया। इन विरोधों के बाद भी राज्य निर्वाचन आयोग ने राज्य में पंचायत चुनाव के लिए अधिसूचना जारी कर दी।

2010, नवम्बर दिसम्बर में झारखण्ड में पंचायत चुनाव हो गए। मानकी मुण्डा के साथ मुखिया सरपंच भी आ गए। लेकिन चुनाव के बाद यह बात दिखी कि मुखिया और उपमुखिया केवल उन्हीं का काम करते हैं जिन्होंने चुनाव के समय उनका पक्ष लिया था। जिस विकास के लिए पंचायत चुनाव कराए गए थे, वह विकास गाँवों से अभी भी दूर है क्योंकि उन अधिकारियों को वित्तीय

अधिकार प्रदान नहीं किए गए हैं। ग्राम पंचायत और जिला परिषद् के अधिकारी प्रशासन और राज्य सरकार से अपने अधिकारों की मांग करते रहे। वहीं पेसा की धारा 4 के तहत मानकी मुण्डा को और उनके पारम्परिक स्वशासन व्यवस्था को मान्यता दे दी गई है। पंचायत चुनाव के बाद भी उनकी शक्तियाँ बरकरार हैं। वे अभी भी रैयतों की समस्याओं का समाधान करते हैं।

नतीजतन कोल्हान में मानकी-मुण्डा शासन प्रणाली हर तरफ से कमजोर हो चुकी है। जहाँ तक राजस्व का अधिकार है मानकी और मुण्डा को रैयती और परती जमीन की बंदोबस्ती, मालगुजारी वसूलने, दाखिल-खारिज करने तथा जमीन बेचने पर उनका जाँच प्रतिवेदन देना आदि अधिकार हैं किन्तु अब इन अधिकारों पर अतिक्रमण हुआ है। ग्राम पंचायत भूमि सुधार आदि के कानूनों से ये अधिकार कमजोर हुए हैं। अब जमीन की बिक्री और दाखिल-खारिज के लिए जाँच का अधिकार मुखिया को दे दिया गया है। भूमि सुधार कानून के अधीन कर्मचारी मालगुजारी अदा करते हैं तथा परती जमीन की बंदोबस्ती इसी कानून के अधीन कर्मचारी के प्रतिवेदन पर अंचलाधिकारी द्वारा की जाती है। इस प्रकार कोल्हान में समस्या जटिल बनी हुई है।

मानकी मुण्डा व्यवस्था कोल्हान को विशेष पहचान देती है। इससे हो जनजाति को सहज और सस्ता न्याय खुले आसमान के नीचे प्राप्त हो रहा है। मानकी मुण्डाओं का कहना है कि जब वे राजस्व संग्रह कर सरकारी कोश में जमा कर सकते हैं तब विकास कार्यों को वे क्यों नहीं कर सकते? विकास के कामों को करने की जिम्मेदारी मुखिया के बदले मानकी मुण्डा को ही क्यों नहीं दिए जा सकते? मानकी मुण्डा अपनी नियुक्ति के समय भूमि जमानत पत्र भरते हैं और अपनी कुछ जमीन सरकार के पास गिरवी रखते हैं। यदि वे अनुचित कार्य करते हैं तो प्रशासन उनकी भूमि जब्त कर सकती है। इस कारण वे अपना काम ईमानदारी से करते हैं। दूसरी और पंचायती संस्थाओं के अधिकारी और अन्य अधिकारी नौकरी के बदले कुछ भी बंधक नहीं रखते और मौका देखकर घोटाला करके भाग जाते हैं। यदि गाँवों का विकास करना है तो कोल्हान विकास फंड को पुनः लाना होगा। विधायक और सांसद भी विधायक और सांसद निधि के बगैर काम नहीं कर सकते हैं। कोल्हान विकास फंड के द्वारा मानकी मुण्डा भी विकास का काम कर सकते हैं। हकूकनामे के अनुसार मानकी मुण्डा को राजस्व, पुलिस, प्रशासन, न्याय, भूमि बंदोबस्ती और वनाधिकार प्राप्त है। पंचायत के पदाधिकारियों मुखिया और उपमुखिया को भी यही अधिकार प्राप्त हैं। दोनों व्यवस्थाओं में कार्यों के बंटवारे न होने के कारण तनाव की स्थिति हमेशा बनी रहेगी। यदि मानकी मुण्डा व्यवस्था में आधुनिकीकरण के सकारात्मक प्रभावों को बनाए रखा जाए तो व्यवस्था भी बनी रहेगी और आधुनिकीकरण का वास्तविक रूप दृश्यमान होगा।

- * 1837 में छोटानागपुर और उड़ीसा (मयूरभंज) के कुछ क्षेत्रों को ब्रिटिश सरकार के सीधे नियंत्रण में लाया गया जिसे कोल्हान कहा गया। बंगाल अधिनियम 1833 पारित हो चुका था और कोल्हान को गवर्नर जनरल इन काउन्सिल के द्वारा पारित रेग्युलेशन 7 के तहत रेग्युलेशन एजेन्सी में शामिल कर लिया गया था। कैप्टन थॉमस विल्किन्सन्स को छोटानागपुर क्षेत्र के प्रशासन के लिए एजेन्ट नियुक्त किया गया था जिसने कोल्हान क्षेत्र के लिए कुछ नियम बनाए जिन्हें विल्किन्सन्स रूल्स कहा गया। ये नियम दीवानी और फौजदारी न्याय के लिए बनाए गए थे। विल्किन्सन्स रूल्स के प्रमुख उद्देश्य थे— स्थानीय स्वशासन व्यवस्था को सुरक्षित रखना, जनता के साथ सरकार का सीधा संबंध रखना, विवादों का निपटारा

ग्राम पंचायत के माध्यम से गांवों में ही करना और क्षेत्र में बाहरी लोगों के प्रवेश को रोकना या सीमित करना। इस नियम में परम्परागत मुखियाओं को सम्पत्ति संबंधी दीवानी अधिकार दिए गए।

संदर्भ

1. जर्जोम्बेक, मार्क (2000), *आधुनिकता का मनोविज्ञान*, यूनिवर्सिटी प्रेस, कैम्ब्रिज.
2. गाँवकर, डी.ए.(सं.) (2001), *वैकल्पिक आधुनिकता*, ड्यूक यूनिवर्सिटी प्रेस, डरहम.
3. राष्ट्रीय फोकस समूह का आधार पत्र. (2010). *अनुसूचित जाति और जनजाति के बच्चों की समस्याएं*.
4. वही, पृष्ठ 7.
5. मुंडू, बिरसा., रैयत., ग्राम टोकाद. (2016). उम्र 45 से साक्षात्कार पर आधारित. दिनांक 22-05.
6. जामुदा, लक्ष्मण., रैयत, उलीगुट्टू. (2018). खुंटपानी से साक्षात्कार पर आधारित, दिनांक 15-06.
7. महतो, शैलेन्द्र. (2011). *झारखण्ड की समरगाथा*. निधि बुक्स: दिल्ली. पृष्ठ 319.
8. सुन्डी, ललिता. (2012). सिंहभूम की मानकी मुण्डा व्यवस्था: एक ऐतिहासिक अध्ययन. पृष्ठ 171.
9. महतो, शैलेन्द्र. (2011). *झारखण्ड की समरगाथा*. निधि बुक्स: दिल्ली. पृष्ठ 321.
10. बिरुली, सुष्मा., रैयत., राँची. (2019). उम्र 45 से साक्षात्कार पर आधारित. दिनांक 22-08.
11. सावैया, अश्विनी कुमार. (1973). कोल्हान की चिंगारी भाग 1. कोल्हान रक्षा संघ: चाईबासा. पृष्ठ 12.
12. सुन्डी, विजय., मुण्डा. गाँव करकट्टा से साक्षात्कार पर आधारित।
13. धेबर कमीशन की रिपोर्ट. (1956). पृष्ठ 24.
14. बसु, डी.डी. (2015). *भारत का संविधान एक परिचय*. लेक्सिस नेक्सिस: गुड़गाँव।
15. (2005). अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति आयोग. भारत सरकार की रिपोर्ट. वॉल्यूम 1. पृष्ठ 272.
16. (2017). हिन्दुस्तान. जमशेदपुर संस्करण. 09-01.
17. महतो, शैलेन्द्र. (2011). *झारखण्ड की समरगाथा*. निधि बुक्स: दिल्ली।
18. शर्मा, बी.डी. (1990). रिपोर्ट ऑफ द कमिश्नर फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब. 29 वाँ रिपोर्ट।
19. पाल, सुधीर. (2017). *ग्राम सभा नए लोकतंत्र की दस्तक*. आधार प्रकाशन: पंचकूला, हरियाणा. पृष्ठ 34.
20. सुन्डी, ललिता. (2012). सिंहभूम की मानकी मुण्डा व्यवस्था: एक ऐतिहासिक अध्ययन. पृष्ठ 167.
21. वही. पृष्ठ 171.
22. वही. पृष्ठ 172.
23. वही. पृष्ठ 175.